26/7/19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। उत्तरदाता सं० 3 उपस्थित। मामले में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलेन्ट वकील का कहना है कि अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रसन्नकार नहीं है लिहाजा वे धारा 96 CPC के तहत आवेदन कर अनुमति चाहते हैं। वादग्रस्त भूमि गौचर की जो 721/56 रकबा 234 बीघा आगोर एवं चारागाह की भूमि है जिसे रिकॉर्ड में दर्ज करने का प्रस्ताव भी किया गया है। इस संबंध में अपीलाधीन आदेश में किये गये आवेदन सही नहीं होने से रद्द किए जाने से वे व्यथित पाये गये हैं। सर्वप्रथम धारा 96 के आवेदन पर ही विचारणीय है। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में प्रसन्नकार नहीं रहे हैं क्योंकि वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ विद्युत विभाग के लिए आवंटित की गई है जो राजकीय भूमि है जो राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक गैर-मु० मगरा किस्म की है न कि आगोर या चारागाह या गौचर की हो। अपीलार्थी कोलाहितार्थ किये गए अवैध से पीड़ित। प्रभावित या हितबद्ध प्रसन्नकार नहीं है। इन्हें अपील लाने की अनुमति नहीं है लिहाजा अपील अनुमति के बिंदु पर ही खारिज किये जाने योग्य।

(वकील उत्तरदाता सं०3)

सक्षम अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी, आदेश के 4531 दिनांक 18.7.2016 से अधीक्षण अभियंता 400 KV GSS बाड़मेर द्वारा मांगा किये जाने पर ईश्वर की ग० नं० 721/56 में 6 हैक्टेयर भूमि नॉर्मस एवं निर्धारित राजस्व सरकार के परिपत्रों एवं आये दिशानिर्देशों के तहत कीमतन लीज पर आवंटित की गई है जहां 400 KV GSS का निर्माण होगा। भूमि की किस्म गै-मु-मगरा थी न कि आगोर की चारागाह। आवंटित भूमि में अपीलांट का कोई पराधिकार हित निहित नहीं है। प्रस्तुत फोटो से भी स्पष्ट है कि वह बबूल की झाड़ियों से आच्छादित अटकर पड़ी भूमि है। इस संबंध की शेष भूमि खे नं० 721/56 में इसका 158 बीघा अवशेष होकर उपलब्ध है। आवंटित रकबे में अपीलांट बाधित / हितबद्ध या प्रभावित नहीं है। इन्हें अपील अनुमति दी जाती उचित नहीं है लिहाजा आवेदन 96 CPC खारिज किया जाता है। इसी कारण अपील भी ग्रहण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फोल्डर होकर रेकर्ड के रूप में हो। दाखिल दफ्तर हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner